बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–22/2015 || पटना, दिनांकः 08.01.18

कार्यालय आदेश

श्री जयचंद प्रसाद तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 33(मु०)आ० दिनांक 22.04.2015 द्वारा द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में गेहूँ अधिप्राप्ति में गबन से संबंधित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं० 131 सहपठित ज्ञापांक 750 दिनांक 16.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । प्रपत्र 'क' में श्री जयचंद प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों में निम्न आरोप लगाये गये है :–

2. रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में आपकी प्रतिनियुक्ति बेलवईया क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में आदेश ज्ञाप संख्या–688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा की गई थी। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, रोहतास से दिनांक 12.04.2015 को प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रय केन्द्र पर आपके द्वारा 31369.75 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 29944.70 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 1425.05 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित थे। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, परन्तु उक्त क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण निलामकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव नहीं किया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश उक्त आदेश ज्ञाप संख्या–688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा संसूचित है, परन्तु आपने इसका निवर्हन नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा जान बुझकर निजी लाभ के लिए 1425.05 क्वींटल गेहूँ की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

इस संबंध में पत्रांक 858/आ, दिनांक–15.04.2015 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मॉग की गई थी, परन्तु आपके द्वारा दूरभाष पर भी इसकी सूचना देने के बाबजूद भी स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। इस प्रकार आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई।

इस प्रकार स्पष्ट है _ आपके द्वारा 1425.05 क्वींटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्वींटल 1426.04 रू० की दर से कुल 20,32,178=30(बीस लाख बत्तीस हजार एक सौ अठत्तर रूपये तीस पैसे) रू० होता है, का गबन कर लिया गया है तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई है । आपका यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(1) का (i)3(1) का (ii) एवं 3(1) का (iii)का उल्लंधन है तथा इसके लिए आप दोषी है।

3. आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त निम्न मंतव्य प्रतिवेदन दिया गया :–

" श्री जयचंद प्रसाद को रब्बी विपणन वर्ष 2012–13 में बेलवईया क्रय केन्द्र पर क्रय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त की गयी थी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2015 से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 31369.75 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 29944.70 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 1425.05 क्वींटल गेहूँ भारतीय निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित था। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया परंतु उक्त क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण निलामीकर्त्ता द्वारा उठाव नहीं किया गया।

क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते मानक के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति करना एवं अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में आदेश ज्ञापांक 688 दिनांक 27. 04.2012 द्वारा संसूचित है। इन्होने इसका निर्वहन नहीं किया तथा जान बूझकर निजी लाभ के लिए 1425.05 क्वींटल गेहूँ की बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया इस संबंध में पत्रांक 858/ आ० दिनांक 15.04.2015 के द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी, तब भी इन्होनें स्पष्टीकरण का जबाव नही दिया । इस तरह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी।

इस प्रकार आरोपी के द्वारा 1425.05 क्वींटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रूपया की दर से कुल मो० 20,32,178=30 (बीस लाख बत्तीस हजार एक सौ अठहत्तर रूपये तीस पैसे) रू० होता है, का गबन किया गया है।

श्री जयचंद प्रसाद, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा प्रखंड, रोहतास पर प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप सत्य प्रमाणित होता है।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 2543 दिनांक 21.11.2017 द्वारा श्री जयचंद प्रसाद से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 06.12.2017 को अभ्यावेदन समर्पित किया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित

अभ्यावेदन में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । उनके द्वारा उन्ही बातों को दुहराया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को दिया गया था।

5. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री जयचंद प्रसाद द्वारा जान बूझकर निजी लाभ के लिए 1425.05 क्वींटल गेहूँ की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया। इस प्रकार 1426.04 रू० की दर से कुल 20,32,178=30 (बीस लाख बत्तीस हजार एक सौ अठत्तर रूपये तीस पैसे) होता है, का गबन कर लिया गया है तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई है । इस प्रकार सरकारी राजस्व की क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री जयचंद प्रसाद, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है।

6. अतः श्री जयचंद प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा प्रखड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर पर गबन का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–

निदेशक

ज्ञापांकः–स्था०1/वि०3–22/2015 53 पटना, दिनांक :– 08.01.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 33(मु०)आ० दिनांक 22.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री जयचंद प्रसाद से गबन की उक्त राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर।
5. प्रंखड विकास पदाधिकारी, दिनारा प्रखंड, रोहतास/रामगढ़ प्रखंड, कैमूर।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री जयचंद प्रसाद, प्रखंड संख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/1/18

निदेशक

02812 स्था0 1 (03 जनवरी 2018) जयचंद प्रसाद.